<u>लघु सिंचाई योजना</u>

उद्देश्य : पम्पसैटों की खरीद, कुएं खुदवाने, कुएं गहरे करवाने, कुएं की मरम्मत, बोर बैल, ऊपरी ट्यूबवैल, गहरे ट्यूबवैल, स्प्रिम्कलर सैटों, बूंद-बूंद सिंचाई, सोलर पंपों, विंड मिलों, कृषि उद्देश्यों के लिए लिफ्ट सिंचाई तथा पम्पसैटों को उर्जावान बनाने के लिए जनरेटर सैटों आदि की खरीद के लिए ऋण ।

पात्रता :
1 एकड़ की न्यूनतम कृषि भूमि

(यह शर्त डीआरडीए, एसजीएसवाई, राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रायोजित परियाजनाओं पर लागू नहीं है ।

परियोजना वाइट एरिया में लगाई जाए तथा तकनीकी / आर्थिक रूप से व्यवहार्य है । ट्यूब वैलों के बीच में कम से कम 200 वर्ग मीटर की दूरी का मानदण्ड रखा गया है ।

सीमा की प्रकृति : मध्यम मियादी ऋण

ऋण सीमा : आवश्यकता आधारित ।

ऋण की चुकौती : सिंचाई प्रणाली के प्रकार पर आधारित 5-15 वर्ष की आवृत्ति